रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 221] नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 1975/आषाढ़ 9, 1897
No. 221] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 1975/ASADHA 9, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 30th June 1975

S.O. 288(E)/18FB/IDRA/75.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, No. S.O. 200(E)/18FB/IDRA/73, dated the 5th April, 1973 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operation of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, or other instruments in force immediately before the publication of the said Order in the Official Gazette to which the Industrial undertaking known as the Refractory Plant near Ramgarh in Hazaribagh District in the State of Bihar belonging to Messrs. Assam Sillimanite Limited is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking, shall remain suspended up to the 30th June, 1973 and all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspend upto the 30th June, 1973;

And whereas the Central Government in the Ministry of Industrial Development by Orders No. S.O. 362(E)/IDRA/73, dated the 30th June, 1973, No. S.O. 452(E)/18FB/IDRA/73, dated the 30th August, 1973, No. S.O. 796(E)/18FB/IDRA/73, dated the 28th December, 1973, No. S.O. 402(E)/18FB/IDRA/74, dated the 29th June, 1974 and No. S.O. 710(E)/18FB/IDRA/74, dated the 12th December, 1974 extended the duration of the said Order upto the 31st August, 1973, 31st December, 1973, 30th June, 1974, 31st December, 1974 and 30th June, 1975, respectively.

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended further upto the 31st October, 1975:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of Section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto the 31st October, 1975.

[No. F. 25/8/72-CUC]
B. N. JAYASIMHA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 1975

का० आ० 288(अ) 18 च ख/आई० डी० आर० ए०/75.—यत भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय में आदेश सं० का० आ० 200 (ई) 18 च ख/आई० डी० आर० ए०/73, तारीख 5 अप्रैल, 1973 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये घोषित किया था कि उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों/करारों व्यवस्थापनों, पंचाटों या अन्य लिखतों का या उनमें से किसी का जिसका, मैसर्स आसाम सिलीमेनाइट लिमिटेड का बिहार राज्य के हजारी बाग जिला में रामगढ़ के निकट रिफरेक्टरी प्लांट नामक औद्योगक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हों या हो, प्रवर्तन 30 जून, 1973 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व तद्धीन प्रोद्भूत या उद्भुत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व 30 जून, 1973 तक निलम्बित रहेंगे ;

और यत: केन्द्रीय सरकार ने, औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 362 (ई)/आई० डी० आर० ए०/73, तारीख 30 जून, 1973, सं० का० आ० 452 (ई)/18 च ख/आई० डी० आर० ए०/73, तारीख 30 अगस्त, 1973, सं० का० आ० 796 (ई)/18 च ख/आई० डी० आर० ए०/73 तारीख 28 दिसम्बर, 1973 और सं० का० आ० 402 (ई)/18 च ख/आई० डी० आर० ए०/74, तारीख 29 जून, 1974 तथा सं० का० आ० 710(अ)/18 च ख/आई० डी० आर० ए०/74 तारीख 12 दिसम्बर, 1974, द्वारा उक्त आदेश की अवधि क्रमश: 31 अगस्त, 1973, 31 दिसम्बर, 1973, 30 जून, 1974 और 31 दिसम्बर, 1974 तथा 30 जून, 1975 तक बढ़ा दी थी ।

और यत: केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 31 अक्तूबर, 1975 तक और बढ़ा दी जानी चाहिये,

अत: अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश की अवधि 31 अक्तूबर, 1975 तक बढ़ाती है ।

[सं० फा० 25/8/72-सी०यू०सी०]
वी० एन० जयसिंह,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975